अध्याय XV : सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

15.1 निष्फल व्यय

मंत्रालय ने पांच वे-इन मोशन सह स्वचालित यातायात काउंटर सह क्लासिफायरों का प्रापण किया था चिन्हित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में उनके संस्थापन हेतु उचित नियोजन की कमी के कारण सात वर्षों से अधिक से ये मशीनें संस्थापित किए बिना पड़ी रहीं जिसके परिणामस्वरूप ₹1.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (मंत्रालय) ने वाहनों के अधिक लदान को रोकने के लक्ष्य को पाने के लिए एक्सल भार का इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 के दौरान यूरो 267,869.05 (एफ.ओ.बी.) (₹1.42 करोड़) की लागत पर मैसर्ज इलेक्ट्रानिक कंट्रोल मीश्योर, फ्रांस (फर्म) से पांच वे-इन मोशन सह स्वचालित यातायात काउंटर सह क्लाससिफायरों (वे.इं.मो. सह-स्व.या.का.क्जा.) का प्रापण किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अगस्त 2006 में फर्म की एफ.ओ.बी. मूल्य के प्राथमिक भुगतान का 60 प्रतिशत अर्थात् ₹96.51 लाख किया गया था।

तीन राज्यों अर्थात् ओडीशा (2 सं.), मध्य प्रदेश (1 सं.) एवं उत्तर प्रदेश (2 सं.) में प्रणालियों का संस्थापन किया जाना था। यद्यपि साइट की पहचान तथा उसकी तैयारी करना सरकार की जिम्मेदारी थी, प्रणालियों को प्रवर्तन में लाने एवं संस्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी फर्म की थी। मंत्रालय ने मशीनों के प्रापण हेतु क्रय आदेश करने के पश्चात इन राज्यों को जून 2006 में आवश्यक आरेखण और विवरण अग्रेषित किए थे और राज्यों से साइट की तैयारी हेतु उपयुक्त कार्रवाही करने का निवेदन किया था। अगस्त 2006 में सभी पांचों प्रणालियाँ प्राप्त तथा नामित

परेषितियों को वितरित की गई थी। हालांकि, उस समय तक साइट के लिए संस्थापन न तो पहचाना गया था और न ही तैयार किया गया था।

प्रणालियों के वितरण के पश्चात, फर्म ने अक्तूबर 2006 में साइट की तैयारी और प्रणालियों के संस्थापन के लिए परेषितियों की उपस्थिति में मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया था। चूंकि फर्म द्वारा प्रदान आरेखणों को भारतीय मानकों के अनुसार अननुमेय/उचित समझा नहीं जा सकता था इन्हें जनवरी 2007 में संशोधित किया गया था और मंत्रालय ने संबंधित राज्यों से अनुमानों की तैयारी अतिशीघ्रता से करने तथा उसे मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु जमा करने का निवेदन किया। मध्य प्रदेश तथा ओडीशा की सरकार ने अक्तूबर 2007 और जनवरी 2010 में सिविल कार्य प्रदान किए थे और साइटों की तैयारी पर क्रमश: ₹0.75 लाख और ₹55.99 लाख का व्यय किया था। उत्तर प्रदेश की दो साइटों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

फर्म के प्रतिनिधियों ने प्रणालियों के संस्थापन हेतु विभिन्न मुद्दों की चर्चा के लिए अप्रैल 2009 में मंत्रालय का दौरा किया था, लेकिन उन्होने उस समय रीवा, मध्य प्रदेश में तैयारी हो रही एकमात्र साइट का दौरा करने से मना कर दिया। मंत्रालय ने ओडीशा के राज्य से फरवरी 2010 और जून 2010 में मध्य प्रदेश के राज्य से निलम्बन में प्रणालियों के संस्थापन हेतु अपेक्षित सिविल निर्माण कार्यों को रखने के लिए कहा था। इसी समय में, मंत्रालय ने (मई 2010) फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया था जिसके पश्चात सितम्बर 2010 में अनुबंध समाप्ति नोटिस दिया था।

फर्म ने दिसम्बर 2010 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन साइटों की बजाय एक ही बार में सभी पांचों साइटों का दौरा करने की अपनी स्वेच्छा दर्शायी। न तो मंत्रालय ने कम्पनी को उत्तर प्रदेश में शेष दो साइटों की स्थिति की पुष्टि की क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पूरा नहीं किया गया था, और न ही किसी भी पांच राज्यों का दौरा फर्म के प्रतिनिधियों ने नहीं किया था। मंत्रालय ने फिर से प्रणालियों के संस्थापन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए

मई 2011 में फर्म को अंतिम अनुबंध समाप्ति नोटिस दिया था। अत: 2006 में प्राप्त की गई कोई भी मशीन संस्थापित नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि उसने तकनीकी एवं ठेका संबंधी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास किए थे। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्तूबर 2013) की मंत्रालय के पास उपलब्ध कानूनी प्रक्रियाओं का पता लगाया जा रहा था और प्रणाली को संस्थापित करने के लिए अन्य फर्म को लगाने का प्रयास किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने आगे बताया कि फर्म को काली सूची में डालने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा चिन्हित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में उनके संस्थापन एवं परिचालन के लिए बिना उचित नियोजन के ही पॉच वे.इ.मो.स.स्व.का.स.क्ला. के लिए क्रय आदेश देने के परिणामस्वरूप ₹1.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इस प्रकार, अधिक लदान से बचने के उद्देश्य से एक्सल भार के इलेक्ट्रानिक डाटा को एकत्रित करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका था।